Re: Inclusion of Members of Parliament and State Legislatures for flag hoisting on Republic Day and Independence Day ? laid

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जाता है। जिसे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजा जाता है तथा इसकी एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी भेजी जाती है। इसी प्रकार, हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के परामर्श से स्वतंत्रता दिवस मनाये जाने के संबंध में निर्देश जारी करता है। ये निर्देश सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को दिए जाते हैं। इन निर्देशों का आधार लम्बे समय से चली आ रही परम्परा है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी; राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला स्तर पर मंत्री/आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल/ब्लॉक स्तर पर मंत्री/उप-मंडल मजिस्ट्रेट; पंचायत मुख्यालय/बड़े गांवों के स्तर पर सरपंच/ग्राम प्रधान, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, लेकिन लोक सभा/राज्य सभा/ विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रोटोकोल में शामिल नहीं किया जाता है। अत: मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि लोक सभा/राज्य सभा/ विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को जिला स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय पर्वों (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस) पर ध्वजारोहण के प्रोटोकॉल में शामिल किया जाए तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निर्देश जारी किये जायें।